कोटा–बूंदी जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
अकेलगढ़, रावतभाटारोड, कोटा (राज.) – 324 010
ISO 9001:2015& ISO22000:2018 (FSMS) Certified Dairy
रजिस्ट्रेशन संख्या:1875 R GST: 08AABAK2482L1ZE
FSSAI License No.10012013000248
E-mail: ktamu-rj@nic.in, kotadairy@yahoo.co.in
Customer Care/Help Line: 9829891599

सन्दर्भ: KD/23-24/F.ACCTS/ 18701-709 दिनांक: 05.02.2024

ई–निविदा सूचना

इस कार्यालय द्वारा डेयरी उद्योग में अनुभवी निविदादाताओं से जोकि श्रम विभाग, भविष्य निधि विभाग, ई.एस.आई. विभाग एवं जी.एस.टी. इत्यादि मे पंजीकृत हो, से डेयरी सयंत्र तथा कार्यालय के विभिन्न विभागों मे कार्मिको की आपूर्ति हेतु निर्धारित निविदा प्रपत्र में ऑनलाईन निविदायें, दो भागों में (1) तकनीकी निविदा (2) वित्तीय निविदा, निम्नानुसार आमंत्रित किये जाते है।

निविदा कार्य की अनुमानित लागत (रुपये लाख में)	निविदा शुल्क (रुपये)	अमानत राशि (EMD) (रुपये)	ई–टेण्डर प्रोसेसिंग शुल्क (रुपये)	निविदा–प्रपत्र ऑनलाईन डाऊनलोड करने की दिनांक/समय	निविदा–प्रपत्र ऑनलाईन अपलोड करने की अन्तिम दिनांक/समय	निविदा शुल्क व ई–टेण्डर प्रोसेसिंग शुल्क जमा कराने की अंतिम दिनांक/समय	ऑनलाईन तकनी निविदा खोले जाने की दिनांक/समय
250.00	2360	500000	1000	06.02.2024 प्रातः 11.00 बजे से	15.02.2024 साँय 4.00 बजे तक	16.02.2024 साँय 4.00 बजे तक	17.02.2024 को साँय 1.00 बजे

निविदा की विस्तृत जानकारी http://eproc.rajasthan.gov.in एवं http://sppp.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है

निविदा के साथ धरोहर राशि एवं निविदा शुल्क बजरिये अलग अलग डिमाण्ड ड्राफ्ट/पे आर्डर जोकि **कोटा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि., कोटा** के पक्ष मे देय होगा एवं 1000 रुपये का डिमाण्ड ड्राफ्ट/पे आर्डर जोकि MD RISL, Jaipur के नाम देय होगा, संघ कार्यालय में जमा कराना होगा। अन्यथा निविदा स्वीकृत नहीं की जावेगी। निविदा अस्वीकृत होने की दशा में निविदा शुल्क एवं MD RISL, Jaipur का ड्राफ्ट नहीं लौटाया जाएगा।

किसी भी/समस्त निदाओं को बिना कराण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।

अन्य किसी जानकारी क़े लिए श्रीमति शीला शर्मा, 9460569847 से सम्पर्क किया जा सकता है।

नोटः

01 निविदा फार्म मय शर्तों सहित ऑन–लाईन वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर निविदा सूचना में दर्शाये अनुसार डाऊनलोड तथा निविदा प्रपत्र को भरकर मय डिमाण्ड ड्राफ्ट वेबसाईट पर निर्धारित प्रपत्र में अपलोड किया जा सकता है।

(कृ. प. उ.)

02 निविदा की समस्त प्रक्रियायें ऑनलाईन होगी।

03 इन निविदाओं में रुचि लेने वाले निविदादाता प्रपत्र को वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर सकते है। निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में सम्बन्धित कार्यालय में निर्धारित तिथि तक जमा कराना आवश्यक होगा।

04 निविदाओं में भाग लेने वाले निविदादाताओं को वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर रजिस्टर करवाना होगा। ऑनलाईन निविदा में भाग लेने के लिए डिजिटल सर्टिफिकेशन इन्फोरर्मशन टेक्नोलोजी एक्ट 2000 के तहत प्राप्त करना होगा जोकि इलेक्ट्रोनिक निविदा में साईन करने हेतु काम आएगा। निविदादाता उपरोक्त डिजिटल सर्टिफिकेट सी.सी.ए. (C.C.A.) द्वारा स्वीकृत एजेन्सी (NIC or safecrypt का msapplitechtendercity.com (India) Pvt. Ltd.) से प्राप्त कर सकते है जिस निविदादाताओं के पास पूर्व में वैध डिजिटल सर्टिफिकेट है उन्हें नया डिजिटल सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है।

प्रबन्ध संचालक

प्रतिलिपिः

01 श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, कोटा दुग्ध संघ, कोटा।

02 प्रभारी सयंत्र/प्रभारी (पी एण्ड आई)/लेखाधिकारी/प्रभारी (क्रय)/प्रभारी (गुण नियंत्रण)/प्रभारी (एम.आई.एस.), कोटा दुग्ध संघ, कोटा।

03 प्रभारी विज्ञापन } को भेज कर लेख है कि निविदा सूचना नियमानुसार सम्बन्धित वेबसाईट एवं समाचार पत्र में प्रकाशित करवाने का श्रम करें।

04 सूचना पट्ट, कोटा कार्यालय

05 कार्यालय पत्रावली/मास्टर फाईल

प्रबन्ध संचालक

तकनीकी निविदा प्रपत्र

निविदा सूचना संख्या एवं दिनांक	:	KD/23-24/F.ACCTS/18701-709 दिनांक 05.02.2024
निविदा कार्य का विवरण	:	ग्रेज्युएटस एवं अन्य प्रोफेशनल कामिकों की आपूर्ति का कार्य
निविदा–प्रपत्र ऑनलाईन डाऊनलोड करने की दिनांक / समय	:	06.02.2024 प्रातः 11.00 बजे से 15.02.2024 साँय 2.00 बजे तक
तकनीकी एवं वित्तीय निविदा–प्रपत्र ऑनलाईन अपलोड करने क़ी अन्तिम दिनांक / समय	:	15.02.2024 साँय 4.00 बजे तक
निविदा शुल्क व ई–टेण्डर प्रोसेसिंग शुल्क कार्यालय में जमा कराने की अतिंम दिनांक / समय	:	16.02.2024 साँय 4.00 बजे तक
तकनीकी ऑनलाईन निविदा खोले जाने की दिनांक / समय	:	17.02.2024 को साँय 1.00 बजे
वित्तीय ऑनलाईन निविदा खोले जाने की दिनांक / समय	:	पृथक से अवगत कराया जाएगा

निविदा शुल्क का विवरण	रुपये	ड्राफ्ट संख्या	दिनांक	बैंक का नाम
निविदा शुल्क	2360			
ई–टेण्डर प्रोसेसिंग शुल्क	1000			
अमानत राशि (EMD)	5,00,000			

तकनीकी निविदा के साथ निम्न पत्रादि की प्रतियाँ अपलोड करें:		
01	फर्म / कम्पनी का पंजीयन प्रमाण पत्र / पार्टनरशिप डीड	
02	अधिकार पत्र की मूल प्रति	
03	श्रम विभाग का पंजीयन प्रमाण पत्र (Contract Labour Regulation & Abolishion Act 1970 Form No. 6)	
04	पी.एफ. रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र एवं गत छः माह के पी.एफ. अंशदान जमा कराये गये चालानों की प्रति।	
05	ई.एस.आई. रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र एवं गत छः माह के ई.एस.आई. अंशदान जमा कराये गये चालानों की प्रति।	
06	GST रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र	
07	आयकर PAN No	
08	शर्त संख्या 3 में वर्णित अनुसार वित्तीय वर्ष 2022–23 (कर निर्धारण वर्ष 2023–24) के लिए टैक्स ऑडिट की प्रति एवं अकेक्षित खाते जिसमें फर्म का टर्न ओवर कम से कम 4.00 करोड रुपये या अधिक होना चाहिए।	
09	बैंक ड्राफ्ट / पे आर्डर की फोटो प्रति (2360+1000+5,00,000)	
10	डेयरी संघ मे समान प्रकार का कार्य का दो वर्ष का अनुभव तथा सरकारी / अर्द्ध सरकारी / स्वायतशाषी संस्था में गत चार वित्तीय वर्षों में से किन्हीं तीन वर्षों में 100 श्रमिक प्रति वर्ष किसी एक संस्था में आपूर्ती करने का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।	
11	प्रोप्राईटर / अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का आधार कार्ड	
12	संघ में वर्तमान में कार्यरत निविदादाता को निविदा के साथ अदेय प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।	

हस्ताक्षर निविदादाता

13	हस्ताक्षरित शर्तें	
14	अन्य विवरण	

नोटः

01 **उपरोक्त समस्त सूचनाओं से सम्बन्धित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति तकनीकी निविदा के साथ ऑलाईन अपलोड करना अनिवार्य है।**

02 वित्तीय ऑनलाईन निविदा खोले जाने की दिनांक/समय बाद में घोषित किया जाएगा।

घोषणा

मैं .... पुत्र श्री .... निवासी .... घोषणा करता हूँ कि मैं तकनीकी एवं वित्तीय निविदा प्रपत्र को हस्ताक्षर करने के लिए पूर्णतया अधिकृत हूँ, उपरोक्त दी गई समस्त जानकारी सही हैं, मैंने निविदा प्रपत्र की समस्त शर्तों को पढ/सुन/एवं समझ लिया हैं तथा इनका पूर्णतया पालन करने के लिए प्रतिबद्ध होता हूँ। तकनीकी निविदा में उपयुक्त नहीं पाये जाने पर मैं धरोहर राशि का ड्राफ्ट/पे आर्डर बिना उज्र वापस प्राप्त करूँगा।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि हमारे फर्म को राजस्थान कॉऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लि. जयपुर या सबद्ध दुग्ध संघ द्वारा कभी भी ब्लेक लिस्टेड नहीं की गई हैं। यदि निविदा स्वीकृत होने या अनुबन्ध होने के बाद हमारे फर्म को ब्लैक लिस्टेड होने की जानकारी मिलती है तो हमारे निविदा/अनुबन्ध तत्काल को निरस्त कर अमानत राशि जब्त करने का अधिकार संघ को होगा।

पूर्ण हस्ताक्षर निविदादाता...

नाम...

पता...

....फोन नम्बर ....

ई–मेल...

हस्ताक्षर निविदादाता

कोटा–बून्दी जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
अकेलगढ, रावतभाटा रोड, कोटा (राज.) – 324 010
ISO 9001:2015 & ISO 22000:2005 (FSMS) Certified Dairy
E-mail: kotadairy@yahoo.co.in

निविदा प्रपत्र भरने के लिए आवश्यक निर्देश

यह निविदा प्रपत्र दो भागों तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा के रूप में विभाजित है।

निविदादाता से अपेक्षा की जाती है कि निविदा प्रपत्र को डाऊनलोड कर पूर्ण अध्ययन करें एवं तकनीकी निविदा व वित्तीय निविदा में चाही गई जानकारी यथा स्थान पर पूर्ण करें। सम्पूर्ण रूप से भरे हुए तकनीकी एवं वित्तीय निविदा प्रपत्र मय वाँछित दस्तावेज/ड्राफ्ट को स्केन कर निर्धारित साईट पर अपलोड करें।

निविदा सूचना में चाहे गए शुल्क के अलग अलग डिमाण्ड ड्राफ्ट बन्द लिफाफे में कोटा दुग्ध संघ के कार्यालय में निर्धारित दिनांक एवं समय तक आवश्यक रूप से जमा करा कर रसीद प्राप्त कर लेवें। अन्यथा निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।

यदि तकनीकी निविदा में कोई निविदादाता निविदा समिति द्वारा उपयुक्त नहीं समझा जाता है तो निविदा समिति तत्काल निविदा निरस्त कर उसका बैंक ड्राफ्ट/पे आर्डर लौटा देगी। इसमें पूर्ण अधिकार निविदा समिति का सुरक्षित होगा तथा कोई भी निविदादाता समिति के निर्णय पर प्रश्न करने का अधिकारी नहीं होगा।

निविदा की समस्त प्रक्रियायें ऑनलाईन होगी।

इन निविदाओं में रुचि लेने वाले निविदादाता प्रपत्र को वेबसाईट http://eproc. rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर सकते है। निविदादाता द्वारा पूर्ण रूप से भरे हुए तकनीकी निविदा प्रपत्र मय निविदा शुल्क डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में सम्बन्धित कार्यालय में निर्धारित तिथि तक जमा कराना आवश्यक होगा।

निविदादाताओं को निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रोनिक फोरमेट में उपरोक्त दर्शाई वेबसाईट पर डिजिटल साईन के साथ प्रस्तुत करना होगा। जिनके प्रस्ताव डिजिटल साईन के नहीं होगे उनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

ऑनलाईन निविदायें निर्धारित दिनांक एवं समय पर खोली जावेगी। अगर उस दिन का अवकाश रहता है तो निविदा अगले दिन निश्चित समय पर खोली जावेगी। अपरिहार्य कारणवश यदि निविदायें खोलने की तिथि में कोई परिवर्तन होता है तो निविदादाता को ईमेल के द्वारा सूचित किया जाएगा।

इलेक्ट्रोनिक निविदा प्रपत्र को जमा कराने से पूर्व निविदादाता यह सुनिश्चित कर लेवें कि निविदा प्रपत्र से सम्बन्धित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्केन कॉपी निविदा प्रपत्र के साथ अटैच कर दी गई है।

कोई भी टेण्डर इलेक्ट्रोनिकी डिफाल्ट के कारण यदि साईट पर निर्धारित दिनांक एवं समय पर अपलोड नहीं हो पाता है या अन्य किसी कारण से बिड अपलोड नहीं हो पाती है तो उसमें संघ की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी और कोई भी व्यक्ति इसके लिए कोई विवाद प्रस्तुत नहीं कर सकेगा।

निविदादाता को निविदा के नियम एवं शर्तों का विवरण भली प्रकार पढ एवं समझ लेना चाहिए तथा नियमों की स्वीकृति स्वरूप शर्तों के प्रत्येक पृष्ट पर अन्त में निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर एंव फर्म की सील लगानी चाहिए। अन्यथा निविदा प्रपत्र मान्य नहीं होगा तथा तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा। अमानत राशि नगद स्वीकार नहीं की जावेगी।

संघ के संचालक मण्डल के निर्णयानुसार राजस्थान कॉऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लि. जयपुर या सबद्ध दुग्ध संघ द्वारा ब्लेक लिस्टेड ठेकेदारों/सप्लायरों द्वारा प्रस्तुत निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी। निविदा स्वीकृत करने या अनुबन्ध होने के बाद निविदादाता की ब्लैक लिस्टेड होने की जानकारी मिलती है तो निविदा/अनुबन्ध तत्काल निरस्त कर अमानत राशि जब्त कर ली जावेगी और कोई भी निविदादा/अनुबन्धकर्ता इसके लिए उत्तरदायी होगा।

हस्ताक्षर निविदादाता

निविदा प्रपत्र भरने के लिए सामान्य अनुदेश, शर्तें एवं आवश्यक निर्देश

01 निविदादाता नियम एवं शर्तों को अच्छी तरह पढ व समझ कर प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर करें। **पंजीकृत लिमिटेड कम्पनी/पार्टनरशिप फर्म होने पर पंजीयन प्रमाण पत्र/पार्टनरशिप डीड की प्रति एवं फर्म/समस्त हिस्सेदारों का अनापत्ति प्रमाण पत्र सलंग्न करना आवश्यक होगा व अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता को निविदा प्रपत्र भरने का अधिकार पत्र तकीनकी निविदा के साथ अपलोड करना होगा।**

02 निविदा प्रपत्र जो व्यक्ति हस्ताक्षर कर रहा है उसको हस्ताक्षर के नीचे यह लिखना अनिवार्य है कि वह फर्म का मालिक है अथवा अधिकृत प्रतिनिधि है अथवा भागीदार है अथवा प्रबन्धक है, इन समस्त परिस्थितियों में फर्म के मालिक के अतिरिक्त अन्य हस्ताक्षरकर्ताओं को पॉवर ऑफ अटोर्नी तकीनकी निविदा के साथ अपलोड करना होगा।

03 निविदादाता फर्म का assessed turnover **कम से कम चार करोड** रुपये वार्षिक होना चाहिए। इसके लिए निविदादाता को निविदा प्रपत्र के साथ फर्म की वित्तीय वर्ष 2022–23 (कर निर्धारण वर्ष 2023–24) के लिए टैक्स ऑडिट की प्रति एवं अकेक्षित खाते जिसमें फर्म का टर्न ओवर कम से कम 4.00 करोड रुपये या अधिक होना चाहिए जिसके लिए टैक्स ऑडिट की प्रति एवं अकेक्षित खाते की प्रति अपलोड करनी होगी। उपरोक्त के अभाव में निविदादाता की निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।.

04 मानव श्रम नियोजन से सम्बन्धित कार्यों में एक फर्म को एक से अधिक कार्यों का ठेका नहीं दिया जाएगा। अतः जो फर्में संघ में लेबर सप्लाई, सुरक्षा व्यवस्था अथवा जॉब वर्क ठेके में अनुबन्धित है उनकी अथवा उनसे सम्बन्धित फर्मों की निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा।

05 **पंजीकृत लिमिटेड कम्पनी/पार्टनरशिप फर्म होने पर पंजीयन प्रमाण पत्र/पार्टनरशिप डीड की प्रति एवं फर्म/समस्त हिस्सेदारों का अनापत्ति प्रमाण पत्र सलंग्न करना आवश्यक होगा व अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता को निविदा प्रपत्र भरने का अधिकार पत्र मूल सलंग्न करना होगा।**

06 निविदा प्रपत्र जो व्यक्ति हस्ताक्षर कर रहा है उसको हस्ताक्षर के नीचे यह लिखना अनिवार्य है कि वह फर्म का मालिक है अथवा अधिकृत प्रतिनिधि है अथवा भागीदार है अथवा प्रबन्धक है, इन समस्त परिस्थितियों में फर्म के मालिक के अतिरिक्त अन्य हस्ताक्षरकर्ताओं को पॉवर ऑफ अटोर्नी फार्म के साथ संलग्न करना होगा।

07 निविदादाता को पूर्ण रूप से भरी हुई तकनीकी निविदा एवं निविदा प्रपत्र में अंकित अनुसार अलग अलग पे आर्डर अथवा बैंक ड्राफ्ट जो कोटा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि./एम.डी. आर.आई.एस.एल. के नाम से देय हो निर्धारित साईट पर अपलोड करना होगा तथा मूल निविदाप्रपत्र मय पे आर्डर अथवा बैंक ड्राफ्ट निविदा फर्म में अंकित दिनांक एवं समय तक कार्यालय में जमा कराना होगा। तकनीकी निविदा के साथ वाँछित पे ऑर्डर/बैंक ड्राफ्ट निर्धारित साईट पर अपलोड नहीं होने अथवा मूल प्रति कार्यालय में प्राप्त नहीं होने पर निविदा तत्काल निरस्त कर दी जावेगी एवं वित्तीय निविदा नहीं खोली जावेगी। तकनीकी निविदा के साथ संलग्न ड्रॉफ्ट/पे ऑर्डर संख्या, दिनांक एवं बैंक का नाम निविदा प्रपत्र में निर्धारित स्थान पर अंकित करें। संघ में पेन्डिगं बिल, पूर्व क्लेम को अमानत राशि में समायोजन नहीं किया जावेगा।

08 **वित्तीय निविदा (BOQ Excel Sheet) में मात्र दर का उल्लेख करना होगा तथा केवल निर्धारित साईट पर अपलोड करना होगा।**

हस्ताक्षर निविदादाता

09 निविदाकर्ता नाबालिग, अयोग्य व ब्लैक लिस्टेड, न्यायालय से घोषित अपराधी/दीवालिया करार घोषित नही होना चाहिये।

10 निविदा प्रपत्र बाल पाईन्ट पेन से साफ एवं स्पष्ट शब्दों में भरें। कटिंग एवं ओवर राईटिंग पर निविदादाता अपने लघु हस्ताक्षर अंकित करें।

11 स्त्रोत पर आयकर की कटौती नियमानुसार की जावेगी एवं निर्धारित प्रमाण पत्र ठेकेदार को उपलब्ध कराया जावेगा।

12 **दी हुई निविदा छः माह तक वैध होगी।** निविदा खोले जाने के बाद संघ की सम्पत्ति होगी व निविदादाता का उस पर कोई अधिकार नहीं होगा व अशुद्धी सुधार का अवसर नहीं दिया जाएगा।

13 निविदादाता को निविदा प्रपत्र के साथ PF/ESI/Service Tax के सम्बन्ध में स्वयं हस्ताक्षरित शपथ पत्र पेश करना होगा कि उनकी फर्म का उपरोक्त मदों में कोई राशि बकाया नही है और ना ही उनकी फर्म के विरुद्ध इन विभागों द्वारा बकाया आदि के सम्बन्ध में कोई वाद/जाँच चल रही है।

14 अनुबन्धकर्ता अनुबन्ध अवधि में अन्य किसी पार्टी/संस्था/व्यक्ति से अन्य कोई ऐसा अनुबन्ध नही कर सकेगा जो कि संघ के हित मे नही हो। ना ही अनुबन्ध को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से किसी अन्य को उपभाडा (सबलेट) कर सकेगा। ऐसी स्थिति में संघ प्रबन्धन को अनुबन्ध निरस्त करने का अधिकार होगा।

15 **निविदादाता के पास तकनीकी रूप से सक्षम वर्तमान में कम से कम 100 लेबर किसी भी संस्थान में सप्लाई करने का श्रम विभाग का Licence होना चाहिये साथ ही कार्यादेश जारी होने के पश्चात् निविदादाता को कोटा कोटा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि., कोटा के नाम नियमानुसार निर्धारित कार्मिकों के नियोजन का लाईसेन्स पेश करना होगा एवं श्रम कानूनों का पूर्ण पालना करना होगा।**

16 वित्तीय निविदा उसी निविदादाता का खोला जाएगा जो तकनीकी मापदण्डों पर उपयुक्त पाया जाएगा। तकनीकी निविदा में असफल निविदादाताओं को वित्तीय निविदा का लिफाफा एवं धरोहर राशि का ड्राफ्ट तत्काल लौटा दिया जाएगा।

17 तकनीकी मापदण्डों पर उपयुक्त पाये अस्वीकृत निविदाओं की जमा अमानत राशि अधिकतम 6 माह में निविदादाता को रेखांकित चैक द्वारा लौटा दी जाएगी। इस हेतु निविदादाता को मूल जमा रसीद के साथ आवेदन करना होगा।

18 किसी भी/समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये स्वीकार/अस्वीकार करने या निविदायें भागों में भी स्वीकार करने का अधिकार प्रबन्ध संचालक के पास सुरक्षित है।

19 स्वीकृत निविदादाता को 1000.00 रुपए के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध प्रपत्र हस्ताक्षर कर एवं नोटरी पब्लिक से नॉटिफाई करवा कर प्रस्तुत करना होगा।

20 **मूलतः ठेका एक वर्ष के लिए आवंटित किया जावेगा जो दुग्ध संघ के प्रबन्ध संचालक द्वारा इन्हीं शर्तों एवं दरों पर ठेका आगामी एक वर्ष तक बढाया जा सकता है।** इस सम्बन्ध में **प्रबन्ध संचालक** का निर्णय अन्तिम एवं बन्धनकारी होगा। ठेकेदार इस सम्बन्ध में कोई दावा नहीं कर सकेगा।

21 स्वीकृत निविदादाता को मूल दस्तावेज माँगने पर कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे एवं कार्य आदेश मिलने के **सात दिनों में कार्य प्रारम्भ** करना होगा। निविदादाता द्वारा निर्धारित अवधि में कार्य प्रारम्भ करने में असमर्थ रहने पर उसकी जमा धरोहर राशि जब्त की जाकर वैकल्पिक व्यवस्था करने का संघ को पूर्ण अधिकार होगा।

हस्ताक्षर निविदादाता

22 ठेकेदार अनुबन्ध अवधि में ठेका छोडकर नहीं जा सकता है। यदि अनुबन्ध अवधि में ठेकेदार बीच में कार्य छोड़कर जाता है तो संघ स्वीकृत निविदादाता के खर्चे/जोखिम पर वैकल्पिक व्यवस्था करेगा एवं अतिरिक्त लागत तथा अनुबन्ध भंग कर शास्ती जो प्रबन्ध संचालक द्वारा निर्धारित की जावेगी, की वसूली ठेकेदार के बिल एवं चल अचल सम्पत्ति से की जावेगी एवं अमानत राशि जब्त की जा कर ठेका निरस्त करा जावेगा।

23 प्रबन्ध संचालक, कोटा दुग्ध संघ अनुबन्ध अवधि के दौरान 7 दिवस के नोटिस पर अनुबन्ध निरस्त अथवा निलम्बित/बहाल कर सकेगा। अनुबन्ध/ठेका निलम्बन अवधि का कोई भुगतान देय नहीं होगा।

24 दोनों पक्षकारों के मध्य विवाद होने पर प्रबन्ध संचालक, कोटा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, कोटा का निर्णय अन्तिम एवं दोनों पक्षकारों पर बन्धनकारी होगा।

25 संघ मे कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी/संचालक मण्डल के सदस्य एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्य (स्वयं, पत्नि, आश्रित पुत्र एवं पुत्रवधु) निविदा मे भाग नही ले सकेगे।

26 निविदाकर्ता नाबालिग, सरकारी, सार्वजनिक संस्थान द्वारा अयोग्य व ब्लैक लिस्टेड तथा न्यायालय से घोषित अपराधी/दीवालिया करार घोषित नही होना चाहिये।

27 ठेकेदार द्वारा अनुबन्ध की शर्तो के अनुरूप कार्य न करने की स्थिति में/कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने की स्थिति में/अनुशासन भंग करने की स्थिति में अथवा अन्य किसी रूप से अयोग्य पाये जाने की स्थिति में प्रबन्ध संचालक को अवधि से पूर्व ही ठेका निरस्त करने, अमानत राशि जब्त करने एवं हर्जाना वसूल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

28 डेयरी संघ मे समान प्रकार का कार्य का दो वर्ष का अनुभव तथा सरकारी/अर्द्ध सरकारी/स्वायतशाषी संस्था में गत चार वित्तीय वर्षों में से किन्हीं तीन वर्षों में 100 श्रमिक प्रति वर्ष किसी एक संस्था में आपूर्ती करने का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। निविदा में न्यूनतम दर होने से ही कोई निविदादाता ठेका आवंटन का अधिकारी नहीं होगा। साथ ही एक से अधिक फर्मों/निविदादाताओं की न्यूनतम दरें समान होने पर अन्तिम निर्णय निविदादाता की पृष्ठ भूमि, अनुभव, टर्न ओवर तथा वर्तमान कार्यों आदि आधार पर किया जावेगा जिसके लिए संघ प्रशासन निविदादाता को जवाब देय नहीं होगा। संघ को नेगोशियेशन करने का भी अधिकार होगा।

29 अनुबन्धकर्ता को अपने प्रत्येक कर्मकार के लिए रुपये 5.00 लाख बीमित मूल्य का दुर्घटना बीमा करवाना अनिवार्य है। कार्य के दौरान कर्मकार के साथ किसी भी प्रकार की दुघर्टना होने पर समस्त कार्यवाही करने का दायित्व अनुबन्धकर्ता का होगा।

30 वह निविदादाता जो वर्तमान में किसी भी प्राईवेट प्रतिस्पर्धी ब्रांड के सयंत्र में इस प्रकार का कार्य कर रहा हो वह इस निविदा में भाग लेने के लिए योग्य नहीं होगा।

31 वे निविदादाता जो वर्तमान में संघ में सिटी सप्लाई परिवहन, सुरक्षा व्यवस्था, ग्रामीण दुग्ध उत्पादक समितियों से केन दुग्ध परिवहन, सरस दुग्ध उत्पादों के वितरक, घी भण्डारण हेतु गोदाम तथा पशु आहार स्टोर पर किसी भी कार्य अनुबंध के अन्तर्गत कार्य कर रहे वे किसी प्रकार की लेबर सप्लाई की निविदा भरने के लिएं पात्र नहीं होगा। (निविदादाता को अपने लैटर हैड पर उक्तानुसार अण्डरटेकिंग अपलोड करनी होगी कि वो वर्तमान में उपरोक्त किसी भी श्रेणी में कार्य करने हेतु अनुबन्धित नहीं हैं)।

32 इस निविदा में उन निविदादाताओं को जिनके प्रोपराईटर/पार्टनर/डायरेक्टर एक हों/आपस में रक्त सम्बन्धी हों (सिर्फ आश्रितों के लिये लागू)/आपस में वित्तीय सम्बन्ध हों या अप्रत्यक्ष रूप से सम्बन्ध हो, तो वे सभी फर्मे एक ही मानी जावेगी।

33 सफल निविदादाता को दुग्ध संघ का "स" श्रेणी का नाम मात्र का सदस्य बनना होगा।

34 संघ में वर्तमान में कार्यरत निविदादाता को निविदा के साथ अदेय प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।

हस्ताक्षर निविदादाता

कोटा–बून्दी जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
अकेलगढ, रावतभाटा रोड, कोटा (राज.) – 324 010
ISO 9001:2015 & ISO 22000:2005 (FSMS) Certified Dairy
E-mail: kotadairy@yahoo.co.in

35 समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र कोटा होगा।

प्रबन्ध संचालक

हस्ताक्षर निविदादाता

कोटा–बून्दी जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
अकेलगढ, रावतभाटा रोड, कोटा (राज.) – 324 010
ISO 9001:2015 & ISO 22000:2005 (FSMS) Certified Dairy
E-mail: kotadairy@yahoo.co.in

सरस

निविदा हेतु विशेष अनुदेश एवं शर्तें

01.1 **वित्तीय निविदा वाले भाग में निविदा दर कुल मासिक बिल राशी (पी.एफ./ई.एस.आई. अंशदान/जी.एस.टी. के अलावा केवल मजदूरी बिल पर) के प्रतिशत के रूप में सर्विस चार्जज की देनी होगी। सर्विस चार्जेस की दर 04 प्रतिशत सर्विस चार्ज से अधिक होने पर ही निविदा स्वीकृत की जावेगी। 04 प्रतिशत सर्विस चार्ज तक की निविदा निरस्त कर दी जाएगी।**

01.2 ठेकेदार को प्रति माह दो पार्ट में बिल प्रस्तुत करना होगा। प्रथम पार्ट में कार्मिकों को संघ द्वारा निर्धारित दर से किये गये भुगतान तथा ठेकेदार का मार्जिन दर्शाते हुए बिल तथा द्वितीय पार्ट में ई.एस.आई./पी.एफ. अंशदान का बिल अलग अलग प्रस्तुत करना होगा।

01.3 ठेकेदार को उसके द्वारा लगाये जाने वाले प्रत्येक कार्मिक को संघ द्वारा निर्धारित दर पर भुगतान सम्बन्धित कार्मिक को प्रति माह 7 तारीख से पूर्व बैंक खाते में भुगतान करना अनिवार्य होगा।

01.4 ठेकेदार को बिल के साथ (1) शाखा प्रभारी से कामिकों की उपस्थिति प्रमाणित करा कर सलंग्न करनी होगी (2) कार्मिकों को किये गये भुगतान की बैंक एडवाईज की एक प्रति, उनसे की गई कटौतियों की विस्तृत पंजिका की प्रति (3) ई.एस.आई./पी.एफ. अंशदान जमा करने के चलानों की प्रतियाँ मय कर्मचारी का नाम एवं कोड संख्या इत्यादि सलंग्न करने होंगे तभी जमा कराई गई राशि का पुर्नभरण किया जाएगा।

01.5 भविष्य निधि/ई.एस.आई. कर्मचारी अंशदान को ठेकेदार कार्मिकों को देय भुगतान से नियमानुसार अधिकतम 15,000 मूल वेतन पर कटौती कर, नियोक्ता एवं कर्मचारी अंशदान को स्वयं अपने कोड से सम्बन्धित विभाग में जमा करावेगा एवं जमा चालानों की प्रतियाँ प्रति माह के बिल के साथ प्रस्तुत करनी होगी। **नियमानुसार पी.एफ. अंशदान की राशि संघ द्वारा केवल 15,000 रुपये मासिक से कम के वेतन पर ही देय होंगी।** ठेकेदार द्वारा जमा कराये गये **ई.एस.आई./पी.एफ. अंशदान में से नियोक्ता के अंशदान का पुनर्भरण संम्बन्धित विभाग में जमा कराये गये मूल चालान मय कर्मचारी अंशदान विवरण (ECR) संघ में प्रस्तुत करने पर किया जाएगा। बोनस भुगतान अधिनियम के प्रावधान अनुसार ठेकेदार को न्यूनतम बोनस प्रत्येक कार्मिक को भुगतान करना अनिवार्य होगा। जी.एस.टी. यदि लागू है तो ठेकेदार को उसे बिल में अलग से दर्शाना होगा व उसके जमा चालान की प्रति प्रस्तुत करने पर पुर्नभरण किया जा सकेगा।**

01.6 ठेकेदार को संघ प्रशासन के माँग अनुसार कुशल, अकुशल एवं तकनीकी योग्यताधारी कामिकों को आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराना होगा। इस सम्बन्ध में संघ प्रशासन का निर्णय अन्तिम एवं बन्धनकारी होगी। ठेकेदार या ठेकेदार द्वारा नियोजित कामिकों द्वारा इस सम्बन्ध में कोई दावा/माँग नहीं की जा सकेगी।

01.7 सफल निविदादाता को धरोहर राशी के रूप में निम्न प्रकार नगद धरोहर राशि/बैंक गारन्टी कार्य प्रारम्भ करनें से पूर्व जमा करानी होगी।

क्रं. सं.	श्रेणी	नगद धरोहर राशि	बैंक गारन्टी
02	ग्रेज्युएट एवं तकनीकी योग्यताधारी (आई.टी.आई.डिप्लोमा, बी–टेक, एम.बी.ए./एम.कॉम, पशुधन पर्यवेक्षक, डेयरी साइन्स/ टेक्नोलॉजी, बायोटेक डिग्री आदि योग्यता) रखने वाले प्रोफेशनल की संघ द्वारा निर्धारित दरों पर आपूर्ति सम्बन्धी कार्य।	10.00 लाख	15.00 लाख

जमा राशि पर कोई ब्याज देय नही होगा। टेन्डर के समय जमा अमानत (EMD) राशि नगद धरोहर राशि में समायोजित की जा सकेगी।

हस्ताक्षर निविदादाता

01.8 ठेकेदार भविष्य निधि अधिनियम, ई.एस.आई. अधिनियम, शॉप एवं कार्मशियल एक्ट अधिनियम, न्यूनतम भुगतान अधिनियम एवं सम्बन्धित अधिनियमों के प्रावधानों की पालना करने, समायानुसार रिर्टन भरने एवं निरीक्षण कराने के लिए स्वयं उत्तरदायी होगा। संघ का इस सम्बन्ध में कोई दायित्व नहीं होगा। ठेकेदार को अन्तिम बिल एवं उसकी जमा अमानंत राशि का भुगतान उक्त अधिनियमों के तहत क्लीन निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करने पर ही देय होगा।

01.9 ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी बाल कार्मिक (18 वर्ष की आयु से कम), अवांछनीय व्यक्ति अथवा असामाजिक तत्व उसके द्वारा नियोजित न हो। ठेकेदार इस सम्बम्ध में सभी नियोजित कामिकों का पूर्ण ब्यौरा अपने पास सुरक्षित रखेगा। यदि राज्य सरकार के आदेशों की अवहेलना होती है तथा लेबर डिपार्टमेन्ट अथवा अन्य किसी राजकीय ऐजेन्सी द्वारा कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की स्वंय की होगी।

01.10 राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी की दरों में वृद्धि किये जाने पर संघ द्वारा उसके आधार पर वृद्धि की जावेगी एवं इस सम्बन्ध में प्रबन्ध संचालक का निर्णय अन्तिम एवं दोनों पक्षों पर बन्धनकारी होगा।

01.11 दुग्ध सयंत्र में कार्मिकों को मशीनों/उपकरणों पर कार्य करना पड सकता है। अतः निविदादाता को मशीनों आदी पर कार्य करने में सक्षम कार्मिकों को नियोजित करना होगा।

01.12 ठेकेदार को कार्य पर लगायी गई कार्मिकों को दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित यूनिफार्म एवं फोटो लगा पहचान पत्र स्वयं के खर्चे पर उपलब्ध कराना होगा। कार्मिकों को संघ डेयरी प्लांट में प्रवेश यूनिफार्म में एवं पहचान पत्र होने पर ही दिया जाएगा। ठेकेदार/उसका प्रतिनिधि प्रति दिन यह भी सुनिश्चित करें कि प्रत्येक कार्मिक साफ, धुली हुई यूनिफार्म में हैं।

01.13 कार्मिक प्रति दिन बदले नहीं जावेगे एवं ठेकेदार अपराधी प्रवृति के व्यक्तियों को नियोजित नहीं करेगा।

01.14 कार्मिक आने व जाने की प्रति दिन गैट एन्ट्री के बाद ही आ जा सकेगी।

01.15 नियोजित कामिकों को संघ के निर्देशानुसार प्रति दिन 8 घण्टे कार्य करना होगा तथा प्रत्येक कार्मिक का साप्ताहिक अवकाश सुनिश्चित करना होगा। साप्ताहिक अवकाश के दौरान ठेकेदार को समकक्ष कुशलता वाले कार्मिक रोटेशन अनुसार उपलब्ध करवाने होगें। यदि कार्मिक 8 घण्टे से पूर्व चला जाता है/कार्य से अनुपस्थित रहता है तो उसे उस दिवस में अनुपस्थित मानते हुए शास्ती राशी ठेकेदार के बिल से काटी जाएगी। कार्य निर्देशन एवं नियोजित कामिकों पर प्रशासनिक नियंत्रण संघ प्रबन्ध का होगा। कामिकों को शिफ्टों में लगाये जायेंगे एवं संघ द्वारा दिया गया ड्यूटी रोस्टर/मौखिक निर्देशों का पूर्णतः पालन किया जावेगा। आकस्मिक एवं विशिष्ट परिस्थितियों को छोड कर कामिकों को डबल ड्यूटी करने की इजाजत नहीं दी जावेगी।

01.16 अतिरिक्त कामिकों की माँग किये जाने पर ठेकेदार को तुरन्त (अधिकतम 2 घण्टे में) कामिकों की व्यवस्था करनी होगी। अन्यथा ठेकेदार की लागत एवं जोखिम पर संघ द्वारा अतिरिक्त कामिकों की व्यवस्था की जा कर अतिरिक्त लागत एवं कार्य में नुकसान होने से संघ को होने वाली हानी की भरपाई ठेकेदार के बिल से की जावेगी।

01.17 ठेकेदार द्वारा नियोजित कामिकों को संघ के अधिकारियों/सूपरवाईजर/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। कार्मिक द्वारा निर्देशों का पालन न करने/अभद्रतापूर्वक व्यवहार करने/लापरवाही करने/ संघ सम्पत्ती की चोरी अथवा नुकसान पहूँचाने पर उक्त कार्मिक को कार्य से तत्काल हटा कर गेट से बाहर कर दिया ज़ावेगा एवं ठेकेदार को तुरन्त उस व्यक्ति के स्थान पर अन्य कार्मिक उपलब्ध कराना होगा। साथ ही संघ को हुई हानी की भरपाई ठेकेदार के बिल से की जा सकेगी साथ ही संघ को हुई हानि के 20 गुणा तक शास्ति आरोपित की जावेगी।

हस्ताक्षर निविदादाता

01.18 ठेकेदार द्वारा किसी भी शर्त के उल्लंघन करने/कार्य न होने/हानी होने पर ठेकेदार पर प्रशासन जो उचित समझेगा शास्ती लगाने का अधिकारी होगा, जो उसके मासिक बिल से काटी जावेगी।

01.19 ठेकेदार द्वारा नियोजित कामिकों से संघ से सम्बन्धित कोई भी कार्य करने हेतु कहा जा सकता हैं तथा किसी भी कार्मिक निर्देशानुसार कार्य करने के लिए इन्कार कर देता है तो उस कार्मिक को तत्काल हटा कर दूसरा कार्मिक को लगाना होगा। कामिकों द्वारा किसी कार्य के लिए इनकार करने या विलम्ब करने से संघ की कार्य में कोई व्यवधान या हानी होता है तो उसकी वसूली ठेकेदार से की जावेगी एवं शास्ती भी आरोपित की जा सकेगी।

01.20 अनुबन्धकर्ता को निर्धारित संख्या में कार्मिक आपूर्ति प्रति दिन कराने होंगे। निर्धारित संख्या में आपूर्ति न कराने की स्थिति में न्यूनतम 200/– रुपये प्रति दिन प्रति कार्मिक शास्ती आरोपित की जावेगी। इसके अतिरिक्त संघ अनुबन्धकर्ता की जोखिम एवं खर्चे पर अन्य वैकल्पिक व्यवस्था करने को स्वतंत्र होगा।

01.21 ठेकेदार अथवा उसका प्रतिनिधि हमेशा कार्यों के सूपरविजन हेतु कार्यालय समय में कार्य स्थल पर उपस्थित रहेगा तथा पारी प्रभारी/अधिकृत अधिकारी के निर्देशानुसार कार्य सम्पादित करवायेगा।

01.22 ठेकेदार द्वारा नियोजित कार्मिक को प्रति दिन निर्धारित समय से आधा घंटा पूर्व उपस्थित होना होगा एवं कार्य समाप्ति के पश्चात् पारी प्रभारी से अनुमति लेने के बाद ही कार्य स्थल छोडेंगे।

01.23 ठेकेदार द्वारा नियोजित कार्मिक कार्य समाप्ती के बाद सम्बन्धित संघ अधिकारी/कर्मचारी के अनुमति पश्चात् डेयरी परिसर में नहीं रहेगी/इधर उधर नहीं घूमेंगे अन्यथा ठेकेदार पर आर्थिक शास्ति आरोपित की जावेगी।

01.24 चूँकि संघ एक ISO एवं FSMS प्रमाण पत्र प्राप्त संस्था है। अतः कार्मिक ठेकेदार अथवा उसके द्वारा नियोजित कार्मिक डेयरी परिसर में बीडी/सिगरेट (धूम्रपान) या जर्दा, गुटका आदि का सेवन नहीं करेंगें। इसे सुनिश्चित करने का दायित्व ठेकेदार का होगा।

01.25 यदि ठेकेदार द्वारा नियुक्त कार्मिक सयंत्र परिसर में कार्य करते समय बीमार/चोट ग्रस्त/रोग ग्रस्त हो जाता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार की होगा।

01.26 ठेकेदार को कोटा डेयरी सयंत्र/कार्यालय के अलावा संघ कार्य क्षेत्र कोटा एवं बून्दी जिले में आवश्यकतानुसार कार्मिक उपलब्ध कराने होंगे व उपलब्ध कराये गये कामिकों की सूची मय प्रमाणित फोटो संघ कार्यालय में सविवरण जैसे कि शैक्षणिक योग्यता, कार्य दक्षता, उम्र इत्यादि समेत उपलब्ध करानी होगी।

01.27 वर्तमान में ठेकेदार के माध्यम से नियोजित कार्मिकों तथा ग्रेज्युएट एवं तकनीकी योग्यताधारी कार्मिक की अनुमानित आवश्यकता निम्नानुसार है:–

क्र.सं.	कार्य का विवरण	कामिकों की अनुमानित संख्या
01	ग्रेज्युएट एवं तकनीकी योग्यताधारी (आई.टी.आई.डिप्लोमा, बी–टेक, एम.बी.ए. पशुधन पर्यवेक्षक, डेयरी साइन्स/टेक्नोलॉजी, बायोटेक डिग्री आदि योग्यता) रखने वाले प्रोफेशनल की संघ द्वारा निर्धारित दरों पर आपूर्ति सम्बन्धी कार्य।	75–80 कार्मिक प्रतिदिन आवश्यकतानुसार

कार्य की मात्रा/परिस्थितिवश कामिकों की आवश्यकता में कमी/वृद्धि हो सकती है तदनुसार ही ठेकेदार को कार्मिक आपूर्ति करनी होगी। कार्मिक आपूर्ती में कमी/वृद्धी होने पर कोई हर्जाना देय नहीं होगा। तकनीकी एवं उच्च शैक्षणिक योग्यता प्राप्त कामिकों की आपूर्ती के सम्बन्ध में यदि मुख्यालय से कोई निर्देश प्राप्त होते है तो उनकी पालना की जावेगी एवं इस सम्बन्ध में ठेकेदार अपना कोई दावा पेश नहीं कर सकेगा।

प्रबन्ध संचालक

हस्ताक्षर निविदादाता

FORM No. 1
(See Rule 83)

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency In Public Procurement Act, 2012

Appeal No. .... of ....

Before the .... (Appellate Authority)

1. Particular of appellant:
   (i) Name of the appellant:
   (ii) Official address, if any:
   (iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):
   1.
   2.
   3.

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Grounds of appeal:

   ....
   ....

7. Prayer:
   ....
   ....

Place: ....

Date: ....

Appellant's Signature

हस्ताक्षर निविदादाता

कोटा–बून्दी जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड
अकेलगढ, रावतभाटा रोड, कोटा (राज.) – 324 010
ISO 9001:2015 & ISO 22000:2005 (FSMS) Certified Dairy
E-mail: kotadairy@yahoo.co.in

SAMPLE BOQ

Validate | Print | Help

Item Rate BoQ

Tender Inviting Authority: KOTA ZILA DUGDH UTPADAK SAHAKARI SANGH LIMITED

Name of Work: GRADUATE AND PROFFESIONAL LABOUR SUPPLY WORK

Contract No: KD/23-24/F.ACCTS/

Name of the Bidder/ Bidding Firm / Company :		
PRICE SCHEDULE (This BOQ template must not be modified/replaced by the bidder and the same should be uploaded after filling the relevent columns, else the bidder is liable to be rejected for this tender. Bidders are allowed to enter the Bidder Name and Values only)		
NUMBER #	TEXT #	NUMBER #
Sl. No.	Item Description	SERVICE CHARGES In PERCENTAGE (%)
1.01	ग्रेज्युएटस एवं अन्य प्रोफेशनल कार्मिकों की आपूर्ति का कार्य हेतु मासिक बिल की कुल राशि (पी.एफ./ ई.एस.आई./जी.एस.टी. राशि को छोडकर) के प्रतिशत के रूप में सर्विस चार्जेज की दर।	

हस्ताक्षर निविदादाता